

प्रेसनोट दिनांक 19.09.2023

1. दिनांक 18.09.2023 को वादी म०उ०नि० पूजा राज थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गोविन्द उर्फ भोरे लाल पुत्र रामचन्द्र निषाद नि० जलालपुर माफी थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 477/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 18.09.2023 को वादी म०उ०नि० प्रियंका वर्मा थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि साधना पुत्र गुरु प्रसाद नि० भावापुर थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० गण के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब नाजायज व बनाने का उपकरण बरामद होना। संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 482/23 धारा 60(2) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 18.09.2023 को वादी उ०नि० श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सभाजीत पुत्र शोभानाथ नि० हैदरगंज थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 185/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 18.09.2023 को वादी उ०नि० श्री मिथिलेश कुमार सिंह थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि किंकर सिंह पुत्र अशोक नि० घूरी टिकर थाना तारुन अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 254/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 18.09.2023 को वादी श्री अरुण प्रताप सिंह प्र०नि० इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. शहनवाज पुत्र शेख एजाज नि० मोहल्ला रौनाही थाना रौनाही अयोध्या 2. सद्दाम पुत्र बफाती नि० बड़ागांव थाना रौनाही अयोध्या 3. अरबाज खान पुत्र सिराज नि० रौनाही थाना रौनाही अयोध्या। तीनों अभि० जमानत पर अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गोकशी जैसा जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करना। संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 418/23 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 18.09.2023 को वादी श्री अरुण प्रताप सिंह प्र०नि० इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. उमेश उर्फ गबडू पुत्र शिव दुलारे नि० बत्ती का पुरवा कुचेरा थाना इनायतनगर अयोध्या 2. देवेन्द्र पाठक उर्फ दिबू पुत्र रामेन्द्र पाठक उर्फ नन्दु नि० शेखपुरा थाना इनायतनगर अयोध्या 3. निखिल विश्वकर्मा पुत्र सूर्यभान विश्वकर्मा नि० सरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या उपरोक्त तीनों अभि० पूर्व से जेल में 4. अमित यादव उर्फ नंगू पुत्र सालिकराम यादव नि० रसूलपुर थाना इनायतनगर अयोध्या। जमानत पर अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु षडयंत्र कर जानलेवा हमलाकर लूट जैसा जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करना। संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 419/23 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 18.09.2023 को वादी उ०नि० श्री रामकरन प्रसाद थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लवकुश पुत्र कैलाश नि० हुसैनगंज थाना जखौली थाना पटरंगा अयोध्या। गिर० अभि० द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 216/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।